फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

13-09-2013

आवेदक **मो0 अली इमाम,** पिता–मो0 वशी, सा0–बिहारी साह लेन, मुरादपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–50/2013 एवं एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–51/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–13.09.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–13.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे सिंचाई भवन में ठीकेदारी करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। पृच्छा के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति प्राप्त है जिसपर उनके द्वारा एक एन0पी0बोर रायफल धारित है। रायफल के अतिरिक्त दूसरे शस्त्र की आवश्यकता के संबंध में पृच्छा किए जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। तदोपरान्त उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–19229/2011, अली इमाम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.07.2013 को पारित आदेश के आलोक में उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–783/गो0, दिनांक–18.05.2013 तथा पत्रांक–782/गो0, दिनांक–18.05.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदार हैं। उनके द्वारा सुलतानगंज थाना कांड सं0–136/10, दिनांक–03.11.2010 दर्ज किया गया है। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक रायफल अनुज्ञप्ति सं0–1701/1973 प्राप्त है तथा आवेदक को पूर्व में एक रायफल अनुज्ञप्ति सं0–681/2012, थाना–सुलतानगंज निर्गत किया जा चुका है। कंडिका–02 पर प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक गर्म मिजाज के हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में ही एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना अथवा पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना के द्वारा आवेदक को एक शस्त्र के अतिरिक्त दूसरे शस्त्र की अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई मंतव्य या अनुशंसा नहीं की गयी है। आवेदक के द्वारा भी दूसरे शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का औचित्य स्पष्ट नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि आवेदक को एक एन0पी0बोर रायफल के अतिरिक्त अन्य शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने हेतु कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

अतएव शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, 14, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक मो0 अली इमाम, पिता–मो0 वशी, सा0–बिहारी साह लेन, मुरादपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर एवं एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।